<u>न्यायालयः– विशेष न्यायाधीश उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप</u>
<u>(निवारण)अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या–03, फतेहपुर।</u>
उपस्थितः सुभाष चन्द्र मौर्य ....(एच.जे.एस. यू0पी0 2732)

<u>सी0एन0आर0नम्बर UPFT010000131999</u>

महानिबन्धक,माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्रांक 6740/Admin. G–II Dated–30.05. 2025 के साथ संलग्न Regarding Compliance of order/ judgement dated 23.10.2024 passed by Hon'ble Supreme Court in Writ Petition(Civil) No. 1082/2020, Suhas Chakma Vs. Union of India & Ors.में पारित निर्देशों के अनुपालन में आवरण पत्रकः–

न्यायालय का नामः विशेष न्यायाधीश उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण)अधि0/अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0–03,फतेहपुर।
वाद संख्याः विशेष सत्र विचारण संख्या–107 वर्ष 1999,सत्र विचारण संख्या–160/1999,सत्र विचारण संख्या–163/1999 एवं सत्र विचारण संख्या–169/1999
वाद शीर्षकः उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अब्दुल रसीद एवं अन्य
निर्णय की तिथिः 08.07.2026
निर्णय का परिणामः
दोषसिद्धि/खारिज/दोषमुक्ति
का व्युत्कम/जमानत आवेदन दोषमुक्त
का निरस्तीकरण
निःशुल्क विधिक सहायता
के संबंध में सूचित किया गया
(हॉ /नहीं) हॉ
अपील/उच्चतर उपचार के अधिकार
के संबंध में सूचित किया गया (हॉ /नहीं) हॉ
<u>प्राधिकरण से सम्पर्क का विवरणः</u>–
1–प्राधिकरण का नाम– प्रस्तुत मामला प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है।
2–सचिव का नाम
3–कार्यालय का पता
4–दूरभाष/ मोबाईल सं0
5–बेबसाइट
6–ई–मेल

यह प्रमाणित किया जाता है कि अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता तथा अपील योजित करने के अधिकार के संबंध में विधिक सेवा संस्थानों से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी प्रदान की गयी है।

अभिहित/पीठासीन अधिकारी

Digitally signed by SUBHAS CHANDRA MAURYA
Date: 2026.07.14 15:12:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः- विशेष न्यायाधीश उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या-03, फतेहपुर।
उपस्थितः सुभाष चन्द्र मौर्य ....(एच.जे.एस. यू०पी० 2732)

सी०एन०आर०नम्बर UPFT010000131999

[विशेष सत्र परीक्षण संख्या-107 सन 1999]
[मुकदमा अपराध संख्या-36/1999]

उत्तर प्रदेश राज्य ....परिवादी/अभियोजन पक्ष।

बनाम

1.अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल बारी निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर(A1 फरार अभियुक्त)
2.पंकज उर्फ रमेश पुत्र कृष्णपाल केवट निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर (A2 विचारण)
3.ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन पुत्र शीतल केवट निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर(**A3 जुर्म स्वीकार के आधार पर निर्णीय दिनांक 14.12. 2007**) एवं
4.छोटा पुत्र बुचुवा केवट निवासी रामदयाल का डेरा मडैयन, मजरे गढ़ा थाना किशनपुर, जिला– फतेहपुर (A4 विचारण) ....**अभियुक्तगण।**

अन्तर्गत धारा– 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना–किशनपुर, जिला फतेहपुर।

एवं

सत्र विचारण संख्या–160/1999

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **1**–अब्दुल रसीद, (A1 फरार अभियुक्त)
2–पंकज उर्फ रमेश, (A2 विचारण)
3–छोटा (A4 विचारण)
मुकदमा अपराध संख्या–32/1999,
अन्तर्गत धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–किशनपुर, जनपद–फतेहपुर।

एवं

सत्र विचारण संख्या–163/1999

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छोटा(A4 विचारण)
मुकदमा अपराध संख्या–35/1999,
अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम,
थाना–किशनपुर, जनपद–फतेहपुर।

एवं

<u>सत्र विचारण संख्या–169/1999</u>

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पंकज उर्फ रमेश (A2 विचारण)
मुकदमा अपराध संख्या–34/1999,
अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम,
<u>थाना–किशनपुर,जनपद–फतेहपुर।</u>

परिवादी/अभियोजन पक्ष- उत्तर प्रदेश राज्य
<u>अधिवक्ता का नाम</u>- श्री आलोक तिवारी (विशेष लोक अभियोजक)

अभियुक्तगण-अधिवक्ता का नाम– श्री रंजीत सिंह यादव, एडवोकेट

अपराध की तिथि	08.04.1999 समय 18.30
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	08.04.1999 समय 22.15 बजे
आरोप पत्र की तिथि	मु०अ०सं० 36/99 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट दिनांक 16.11.99, मु०अ०सं० 32/99 धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 09.06.99, मु०अ०सं० 35/99 धारा 25 आयुध अधि०अभि०छोटा दिनांक 09.06.1999 एवं मु०अ०सं० 34/99 धारा 25 आयुध अधि०अभि०पंकज उर्फ रमेश दिनांक 08.06.1999

आरोप विरचन की तिथि	मु०अ०सं० 36/99 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट दिनांक 18.10.2002 एवं धारा 307 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 25 आयुध अधिनियम दिनांक 11.05.2004
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	12.11.2002
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की तिथि	06.07.2026
निर्णय की तिथि	08.07.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	दोषमुक्त

अभियोजन के साक्षियों की सूची

क्रम संख्या	**नाम**	साक्ष्य की प्रकृति
PW1	शिव किशोर मिश्रा तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा	पुलिस साक्षी
PW2	जाफर अली	जन साक्षी
PW3	मोम्मद मन्जूर	जन साक्षी
PW4	मधुसूदन सिंह से०नि०निरीक्षक मामले के विवेचक	पुलिस साक्षी

PW5	SI हरिशंकर सिंह से०नि० विवेचक	पुलिस साक्षी
PW6	का० 435 धनराज पाण्डेय	पुलिस साक्षी
PW7	निरीक्षक कमलेश कुमार प्रारम्भिक विवेचक	पुलिस साक्षी
PW8	का०मो० अतुल तिवारी	पुलिस साक्षी
CW1	रमेश कुमार यादव उपनिरीक्षक	पुलिस साक्षी
CW2	लक्ष्मी देवी ग्राम प्रधान	जन साक्षी

निर्णय

1. अभियुक्तगण-अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल बारी निवासी अहमदगंज,थाना किशनपुर,जनपद– फतेहपुर(A1 फरार अभियुक्त) **,**पंकज उर्फ रमेश पुत्र कृष्णपाल केवट निवासी अहमदगंज,थाना किशनपुर,जनपद–फतेहपुर (A2 विचारण) **,**ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन पुत्र शीतल केवट निवासी अहमदगंज,थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर(**A3 जुर्म स्वीकार के आधार पर निर्णीय दिनांक 14.12. 2007**) एवं छोटा पुत्र बुचुवा केवट निवासी रामदयाल का डेरा मडैयन,मजरे गढ़ा थाना किशनपुर, जिला– फतेहपुर (A4 विचारण) का धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अपराध के आरोप हेतु आरोप पत्र **प्रदर्श क-3** विशेष सत्र परीक्षण संख्या-107 सन 1999,मुकदमा अपराध संख्या-36/1999, अभियुक्तगण-अब्दुल रसीद,(A1 फरार अभियुक्त),पंकज उर्फ रमेश,(A2 विचारण) एवं छोटा (A4 विचारण)का धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप हेतु आरोप पत्र **प्रदर्श क–7** सत्र परीक्षण संख्या–160 सन 1999,मुकदमा अपराध संख्या–32/1999,अभियुक्त छोटा (A4 विचारण)का धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप हेतु आरोप पत्र **प्रदर्श क–8** सत्र परीक्षण संख्या–163 सन 1999,मुकदमा अपराध संख्या–35/1999 एवं अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश,(A2 विचारण) का धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप हेतु आरोप पत्र सत्र परीक्षण संख्या–169 सन 1999,मुकदमा अपराध संख्या–32/1999,थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर की पुलिस द्वारा विचारण हेतु सम्बन्धित अधिकारिता क्षेत्र वाले न्यायालय को संप्रेषित किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा अभियोग का प्रसंज्ञान लिया गया।

2. दौरान विचारण गैगेस्टर कोर्ट जनपद इलाहाबाद द्वारा विशेष सत्र परीक्षण संख्या-107 सन 1999,मुकदमा अपराध संख्या-36/1999,अन्तर्गत धारा– 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,सत्र विचारण संख्या–160/1999, मुकदमा अपराध संख्या–32/1999,अन्तर्गत धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता, सत्र विचारण संख्या–163/1999,मुकदमा अपराध संख्या–35/1999,अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम,**एवं** सत्र विचारण संख्या–169/1999 मुकदमा अपराध संख्या–34/1999,अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम,थाना–किशनपुर,जनपद–फतेहपुर को एक घटना,एक ही तथ्य एवं एक ही फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी से सम्बन्धित होने के आधार पर समाकेतीत कर विचारण आरम्भ किया गया एवं प्रस्तुत उक्त सभी मामले को एक ही विशेष सत्र विचारण संख्या 107/1999 राज्य बनाम अब्दुल रसीद आदि से सम्बोधित किया गया।

3. दौरान विचारण ही प्रस्तुत विशेष सत्र परीक्षण संख्या–107 सन 1999, मुकदमा अपराध संख्या–36/1999,अन्तर्गत धारा– 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का एक अन्य अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन पुत्र शीतल केवट निवासी अहमदगंज,थाना किशनपुर, जनपद–

फतेहपुर(**A3**) ने न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया जिसके अधार पर न्यायालय ने **जुर्म स्वीकार के आधार पर दिनांक 14.12. 2007** को निर्णीत कर दिया गया। उपरोक्त सत्र परीक्षणों का मुख्य आरोपी अभियुक्त अब्दुल रसीद प्रथम जमानत प्राप्त करने के उपरान्त अनुपस्थित हो गया। न्यायालय द्वारा आदेशिका जारी करने पर दिनांक 19.11.2019 को न्यायालय उपस्थित आया जिसको न्यायिक अभिरक्षा में लेकर वारंट धारा 309 बनकार जेल भेजा गया तथा जमानत के उपरान्त दिनांक 13.09.2021 से दिनांक 25.09.2023 तक स्वयं एवं अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होता रहा तथा नियत दिनांक 11.10.2023 को अनुपस्थित होने पर न्यायहित में एक अवसर देते हुए 30.10.23 नियत की गयी उपस्थित न होने की दशा में गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किए जाने का आदेश पारित किया गया। इसके बावजूद उपस्थित न आने पर धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की आदेशिका न्यायालय द्वारा जारी की गयी। तदोपरान्त अभियुक्त अब्दुल रसीद के उपस्थित न आने एवं थाने से आख्या प्राप्त होने पर दिनांक 16.12.2024 को सी०डब्लू01 रमेश रमेश कुमार यादव एवं सी०डब्लू02 लक्ष्मी देवी ग्राम प्रधान को परीक्षित कराया गया, जिनके द्वारा दी गयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2025 को फरार घोषित करते हुए अभियुक्त उपरोक्त का स्थायी वारंट बनाकर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के माध्यम से सम्बन्धित थाना को इस आशय का प्रेषित किए जाने का आदेश पारित किया गया कि जब भी अभियुक्त अब्दुल रसीद गिरफ्तार हो तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाय। पत्रावली पर उपलब्ध परीक्षित साक्षीगण के बयान दौरान विचारण पढ़ा जायेगा। ऐसे में प्रस्तुत निर्णय में अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश पुत्र कृष्णपाल केवट निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर (A2) एवं छोटा पुत्र बुचुवा केवट निवासी रामदयाल का डेरा मडैयन, मजरे गढ़ा थाना किशनपुर, जिला– फतेहपुर (A4) का ही विचारण किया जा रहा है।

4. अभियोजन कथानक फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी **(प्रदर्श क-1)** के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.04.1999 को थानाध्यक्ष किशनपुर प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा शिव किशोर मिश्र (पी०डब्लू01) मय उपनिरीक्षक केसरी लाल सविता व हमराह कर्मचारीगण HC30 सुरेन्द्र प्रताप मिश्र व का० 433 धनराज पाण्डेय,का० 50 सर्वेश कुमार पाण्डेय व सरकारी जीप नम्बर यू०पी० 71-8302 मय चालक का० रामजीराम थाना स्थानीय से रपट नम्बर 20 से समय 15.45 बजे दिन रवाना होकर तलाश वांछित अपराधी दस्यु उमर उर्फ ओम प्रकश उर्फ बीरबाबा पुत्र दुर्गा केवट निवासी मीनातारा थाना किशनपुर करता हुआ ग्राम चन्दवाइनडेर से मरघटा घाट जंगल रामपुर भसरौल की तरफ जा रहा था कि जब व लोग महेश बाबा मंदिर के दक्षिण मडैली घाट जाने वाले रास्ते के पास पहुँचे तभी मरघटा घाट की तरफ से बन्दूके लिए हुए चार आदमी आते दिखायी दिए तो पुलिस वाले को जीप सरकारी से देखकर ठिठके एवं तेज कदमों से पीछे मुड़कर जाने लगे,जिस पर बुलन्द आवाज में उन्हे ललकारते हुए रूकने के लिए कहा कि तुम सब पुलिस के घेर में हो अपने-अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दो अन्यथा सभी मारे जाओगे,जिस पर सभी चारो बदमाशो ने एकदम से पीछेमुडकर पुलिस वालो को जान से मार डालने की नीयत से अपने-अपने हांथो में लिए हुये अग्नेयास्त्रों पुलिस वालो की तरफ फायरिंग करना प्रारम्भ कर दिया। जिस पर पुलिस के लोग पेड़ो एवं झाडियों की आड लेते हुए बाल-बाल बच गये एवं थानाध्यक्ष ने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में अपने हाथ में लिए हुए रिवाल्वर से दस्युदल की तरफ दो फायर किया एवं हमराही पुलिस बल एच०सी० सुरेन्द्र प्रताप मिश्र एवं का० धनराज पाण्डेय ने भी अपने-अपने पास की राइफलों से एक-एक फायर किया जिससे बदमाशों के हौसले परास्त हो गये एवं मरघटा घाट की तरफ भागने लगे। जिस पर एकदम से पीछा करके दुबारा लोड करने का मौका न देते हुए घेर कर भागने से रोकने के लिए आवश्यक बल प्रयोग करके उनमे से तीन

बदमाशो को मडौली घाट जाने वाले तिराहे से लगभग 125 कदम की दूरी पर मरघटा घाट जाने वाले रास्ते पर जंगल में समय करीब 18.50 बजे शाम पकड़ लिया गया। एक बदमाश अदम शिनाख्वत मरघटा घाट की तरफ जंगल में भागने में सफल हो गया। इन पकडे हुए तीनों बदमाशों से नाम पता पूंछते हुए क्रमशः एक के बाद दूसरे की जामा तलाशी मौके पर ली गयी तो अभियुक्त अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल बारी निवासी अहमदगंज,थाना-किशनपुर,जनपद-फतेहपुर के दाहिने हांथ से एक अदद SBBL गन देशी12 बोर हुलिया फर्दनुसार चालू हालत में एवं नाल को खोलकर देखा गया तो चेम्बर में एक खोखा कारतूस तथा पहिनी हुयी पैन्ट की दाहिनी बगली जेब से चार अदद जिनमें एक मिस कारतूस भी था बरामद हुआ। दूसरे अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश पुत्र कृष्णपाल केवट निवासी अहमदगंज,थाना-किशनपुर,जनपद-फतेहपुर के दाहिने हाथ से एक अदद SBBL देशी नाजायज 12 बोर हुलिया फर्दनुसार चालू हालत में बरामद हुआ,जिसकी नाल को खोलकर देखा गया तो चेम्बर में एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर एवं पहनी हुयी पठानी सूट के कुर्ते की बायी सीने की जेब से तीन आदद कारतूस प्लास्टिक एक नम्बर बरामद हुआ एवं तीसरे अभियुक्त छोटा पुत्र बुचुवा केवट निवासी रामदयाल का डेरा मडैयन मजरे गढा थाना किशनपुर,जनपद फतेहपुर के दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा देशी 12 बोर जिसका हुलिया फर्दनुसार चालू हालत में एवं नाल को खोलकर देखा गया तो चेम्बर से एक खोखा कारतूस तथा पहिने हुए कुर्ते की दाहिनी बगली जेब से एक अदद मिस कारतूस एक नम्बर व एक अदद कारतूस BB बरामद हुआ। तीनो अग्नेयास्त्र की नाल खोलकर सूंघा व हमराही पुलिस बल को सूघांया गया तो ताजे बारूद की गंध आ रही है। अभियुक्तगण को बताया गया कि पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से अवैध अग्नेयास्त्र से फायरिंग करना जुर्म धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता एवं अवैध देशी बन्दूक व तमंचा रखना जुर्म धारा 25 आयुध अधिनियम का दण्डनीय अपराध है। हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त अब्दुल रसीद उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 45/98 धारा 395/397 भारतीय दण्ड संहिता,थाना खखरेरू तथा मुकदमा अपराध संख्या 68/98 धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता,थाना-तिन्दवारी जिला बांदा के मुकदमें में धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कार्यवाही के उपरान्त न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए रूपोष था। अतः इन मुकदमों में भी वजह गिरफ्तारी बताकर हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 68/98 धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता,थाना तिन्दवारी,जनपद बांदा के मुकदमे में धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए यमुना नदी के बीहड में रूपोश होकर अपराध जगत में सक्रिया था। अतः इस अभियोग की वजह बताकर पुलिस हिरासत में लेकर अभियुक्तगण को मौके पर उनके पास लिये हुए अगौधे से वापसी किया गया। हिदायत दी गयी कि वह अपना चेहरा छिपाये रखे। अभियुक्त अब्दुल रसीद मुकदमा नम्बर 975/97 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना खखरेरू के मुकदमें में वारण्टी है। अतः वजह गिरफ्तारी बताकर इस अभियोग में भी पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद अवैध अग्नेयास्त्र तथा कारतूसो को कब्जा पुलिस में लेकर अलग-अलग कपडो में रखकर सिलकर सर्वमुहर करके नमूना मुहर बनाया गया। एच०सी० सुरेन्द्र प्रताप मिश्र एवं का० धनराज पाण्डेय द्वारा दाखिला एक-एक अदद कारतूस खोखा कारतूस 303 बोर राइफल तथा थानाध्यक्ष के दो अदद खोखा कारतूस 38 बोर रिवाल्वर एक कपड़े में रखकर सिलकर सर्वमुहर करके नमूना मुहर बनाया गया। हमराही पुलिस बल से पूछा गया कि किसी पुलिस कर्मी को कोई चोट तो नहीं आयी है जिस पर हमराही पुलिस बल ने चोट लगने से इन्कार किया। अभियुक्त अब्दुल रसीद आदि के कृत्यो से स्पष्ट है कि जनपद फतेहपुर एवं पड़ोसी जनपद बांदा मे हत्या,लूट,डकैती,रोड होल्डप जैसे जघन्य अपराधो में लिप्त है। इनका जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त है। भारतीय दण्ड विधान के अध्यय 16,17 व 22

में वर्णित दण्नीय अपराधो में लिप्त रहते हुए सह अपराधी ओम प्रकाश उर्फ छुट्टन पुत्र शीतल केवट निवासी अहमदगंज थाना किशनपुर जिला फतेहपुर के साथ अवैध गैंग बनाकर वर्ष 1998 से अपराध जगत में सक्रिय है। इनका एक अवैध शसस्त्र गैंग है जो जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त किये हुए है जो जुर्म धारा 2/3 गैगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः इस अभियोग में भी हिरासत में लिया गया। घटनास्थल जंगल की होने की वजह से जनता का गवाहन दस्तयाब नहीं हो सके। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उनके पारिवारिकजनो के पास सूचना भेजवायी जा रही है। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में उपनिरीक्षक केदारीलाल सविता से बोलकर लिखाकर पढवाकर,सुनवाकर गवाही हमराही पुलिसबल बनवायी गयी। नकल फर्द अभियुक्तगण को दी गयी।

5. उक्त फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी **(प्रदर्श क-1)** के आधार पर सम्बन्धित थाना किशनपुर जिला फतेहपुर में दिनांक 08.04.1999 को समय 22:15 बजे मुकदमा अपराध संख्या 32/99 धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता,थाना-किशनपुर,जिला-फतेहपुर,मुकदमा अपराध संख्या 33/99,धारा 25 आयुध अधिनियम अभियुक्त अब्दुल रसीद, मकदमा अपराध संख्या 34/99 धारा 25 आयुध अधिनियम,अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश, मुकदमा अपराध संख्या 35/99 धारा 25 आयुध अधिनियम अभियुक्त छोटा एवं मुकदमा अपराध संख्या 36/1999 अन्तर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम अभियुक्तगण-अब्दुल रसीद, पंकज, छोटा एवं एक व्यक्ति नाम पता ओम प्रकाश के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने साक्षियों का बयान दर्ज किया। अभियोग की विवेचना व संकलित साक्ष्य से अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध साक्ष्य पाये जाने के आधार पर अभियुक्तगण-अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल बारी निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद– फतेहपुर(A1 फरार अभियुक्त) ,पंकज उर्फ रमेश पुत्र कृष्णपाल केवट निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर (A2 विचारण) ,ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन पुत्र शीतल केवट निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर (**A3 जुर्म स्वीकार के आधार पर निर्णीय दिनांक 14.12. 2007**) एवं छोटा पुत्र बुचुवा केवट निवासी रामदयाल का डेरा मडैयन, मजरे गढ़ा थाना किशनपुर, जिला–फतेहपुर (A4 विचारण) के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-36/1999,धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अपराध के आरोप हेतु आरोप पत्र **प्रदर्श क-3** एवं अभियुक्तगण-अब्दुल रसीद, (A1 फरार अभियुक्त), पंकज उर्फ रमेश, (A2 विचारण) एवं छोटा (A4 विचारण) के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–32/1999, धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप हेतु आरोप पत्र **प्रदर्श क–7 तथा** अभियुक्त छोटा (A4 विचारण) के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 35/1999 धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप हेतु आरोप पत्र **प्रदर्श क–8** एवं अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश, (A2 विचारण) के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 32/1999, धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप हेतु आरोप पत्र विचारण हेतु सम्बन्धित अधिकारिता क्षेत्र वाले न्यायालय को संप्रेषित किया गया।

6. अभियुक्तगण-अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल बारी निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद– फतेहपुर(A1 फरार अभियुक्त) ,पंकज उर्फ रमेश पुत्र कृष्णपाल केवट निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर (A2 विचारण) ,ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन पुत्र शीतल केवट निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर(**A3 जुर्म स्वीकार के आधार पर निर्णीय दिनांक 14.12. 2007**) एवं छोटा पुत्र बुचुवा केवट निवासी रामदयाल का डेरा मडैयन, मजरे गढ़ा थाना किशनपुर, जिला– फतेहपुर (A4 विचारण) के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र पर न्यायालय उ०प्र०गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम द्वारा दिनांक

16.10.1999 को अन्तर्गत धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप(निवारण)अधिनियम के अपराध का, अभियुक्तगण-अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल बारी निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर(A1 फरार अभियुक्त), पंकज उर्फ रमेश पुत्र कृष्णपाल केवट निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर(A2 विचारण) एवं छोटा पुत्र बुचुवा केवट निवासी रामदयाल का डेरा मडैयन, मजरे गढ़ा थाना किशनपुर, जिला– फतेहपुर (A4 विचारण) के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र पर न्यायालय सिविल जज,(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट खागा-फतेहपुर द्वारा दिनांक 09.06.1999 को अन्तर्गत धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का तथा अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश पुत्र कृष्णपाल केवट निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर (A2 विचारण) के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र पर न्यायालय सिविल जज,(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट खागा-फतेहपुर द्वारा दिनांक 08.06.1999 को अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध का एवं छोटा पुत्र बुचुवा केवट निवासी रामदयाल का डेरा मडैयन, मजरे गढ़ा थाना किशनपुर, जिला– फतेहपुर (A4 विचारण) के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र पर न्यायालय सिविल जज,(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट खागा-फतेहपुर द्वारा दिनांक 09.06.1999 को अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध का संज्ञान लेकर समस्त कार्यवाही निष्पादित करने के उपरान्त विचारण हेतु सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया।

7. विद्वान विशेष न्यायाधीश,उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम,कोर्ट संख्या-11,इलाहाबाद द्वारा दिनांक 18.10.2002 को अभियुक्तगण-अब्दुल रसीद (A1 फरार अभियुक्त),पंकज उर्फ रमेश(A2 विचारण) ,ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन(**A3 जुर्म स्वीकार के आधार पर निर्णीय दिनांक 14.12. 2007**) एवं छोटा के विरूद्ध धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के अपराध का आरोप एवं दिनांक 11.05.2024 को अभियुक्तगण- अब्दुल रसीद (A1 फरार अभियुक्त),पंकज उर्फ रमेश(A2 विचारण) एवं छोटा (A4 विचारण) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 307 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप,अभियुक्त अब्दुल रसीद (A1 फरार अभियुक्त) के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप,अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश(A2 विचारण) के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप एवं छोटा (A4 विचारण) के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध का आरोप विरचित किया गया। उक्त अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

8. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी PW1 शिव किशोर मिश्रा तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा, PW2 जाफर अली,PW3 मोम्मद मंजूर, PW4 मधुसूदन सिंह से०नि०निरीक्षक मामले के विवेचक,PW5 SI हरिशंकर सिंह से०नि०विवेचक,PW6 का0 435 धनराज पाण्डेय, PW7 निरीक्षक कमलेश कुमार प्रारम्भिक विवेचक एवं PW8 का०मो० अतुल तिवारी को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया जा सका और न ही कोई अन्य अभियोजन प्रपत्र को सिद्ध व प्रमाणित कराया गया है।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से **अभियोजन साक्षी व साबित प्रदर्श**–प्रश्नगत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोपों को साबित किये जाने के सम्बन्ध में परीक्षित साक्षी व साबित दस्तावेज पर अंकित प्रदर्श–

क्र०सं०	साक्षी का नाम	साबित दस्तावेज	अंकित प्रदर्श
PW1	शिव किशोर मिश्रा तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रस्तुत मामले के	फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी	प्रदर्श क–1

	वादी मुकदमा	गैंग चार्ट	प्रदर्श क–2
PW2	जाफर अली	वादी अपराघ संख्या 45/98 धारा 395, 397 भारतीय दण्ड संहिता जाफर अली निवासी खखरेरू–FIR की प्रति	प्रदर्श क–1
PW3	मो०मन्जूर	निर्णयादेश दिनांक 10.01.2001 अपराध संख्या 164/98 की प्रति जिसमें अभियुक्तगण दोषसिद्ध हुए है।	प्रदर्श क–2
PW4	मधुसूदन सिंह से०नि० निरीक्षक मामले के विवेचक	आरोप पत्र मु०अ० सं० 36/99 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट का अभियोग चलाये जाने की अभियोजन स्वीकृत	प्रदर्श क–3 प्रदर्श क–4
PW5	SI हरिशंकर सिंह से०नि० विवेचक		
PW6	का0 435 धनराज पाण्डेय		
PW7	निरीक्षक कमलेश कुमार प्रारम्भिक विवेचक		
PW8	का०मो०अतुल तिवारी	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 32/99 से 36/99 अभियुक्त छोटा से सम्बन्धित धारा 25 का अभियोग चलाये जाने की अभियोजन स्वीकृति व आरोप पत्र आरोप पत्र धारा 307 भा ०द०सं०	प्रदर्श क–5 प्रदर्श क–6 व 8 प्रदर्श क–7

10. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रश्नगत मामले में प्रस्तुत किये गये अभियोजन प्रपत्र जो किसी भी साक्षी से साबित नहीं कराये गये है, उनके विवरण निम्नवत हैः–

क्र०सं०	ऐसे अभियोजन प्रपत्र जो किसी भी मौखिक साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध एवं प्रमाणित नहीं कराये गये है

1	आरोप पत्र अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश मु०अ०सं० 34/99 धारा 25 आयुध अधिनियम
2	अभियोजन स्वीकृति अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश मु०अ०सं० 34/99 धारा 25 आयुध अधिनियम

11. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश एवं छोटा के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश ने **प्रश्न सं० 1** अभियोजन पक्ष का कथानक एवं आरोप तथा साक्ष्य है कि 08.04.99 को समय करीब 18.30 बजे मरघटा घाट के पास बहद ग्राम रामपुर शबरौल अन्तर्गत थाना किशनपुर जिला फतेहपुर में आप लोगों ने सामान्य आशय के अग्रसरण में पुलिस बल पर अवैध असलहों से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया कि यदि उक्त कृत्य से किसी भी पुलिस दल के सदस्य की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। उक्त तिथि समय व स्थान पर आप अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश एवं आपके सह अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा जामा तलाशी से आपके अधिपत्य से एक अदद बन्दूक व तीन कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस,आपके सह अभियुक्त अब्दुल रसीद फरार के कब्जे से एक अदद बन्दूक, चार कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस तथा आप अभियुक्त छोटा के अधिपत्य से एक अदद तमंचा,दो जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस नाजायज बरामद हुए,जिनको रखने का आपलोगों के पास कोई अनुज्ञप्ति नहीं था को गलत बताया। अभियुक्त ने प्रश्न सं० 2 में पूछे गये तथ्य कि आपके एवं आपके सह अभियुक्त द्वारा कारित किए गए समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्तता का विवरण गैंग चार्ट के अनुसार 1–**अब्दुल रसीद फरार अभियुक्त के विरूद्ध** 1. अपराध संख्या 45/98, धारा 395,397 भारतीय दण्ड विधान थाना खखरेरू, जिला- फतेहपुर ,2. अपराध संख्या 68/98, धारा 396 भारतीय दण्ड विधान थाना हरचन्द्रपुर,थाना-तिन्दुवारी,जनपद बांदा,3.अपराध संख्या 164/98, धारा 452,323,504 भास्तीय दण्ड विधान थाना- किशनपुर,जनपद-फतेहपुर एवं 4.अपराध संख्या 32/99, धारा 307 भारतीय दण्ड विधान थाना-किशनपुर, जिला फतेहपुर । 2**-ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन** धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णीत दिनांक 14.12. 2007 के विरूद्ध 1. अपराध संख्या 45/98, धारा 395,397 भारतीय दण्ड विधान थाना खखरेरू, जिला- फतेहपुर ,2. अपराध संख्या 68/98, धारा 396 भारतीय दण्ड विधान थाना हरचन्द्रपुर,थाना-तिन्दुवारी,जनपद बांदा,3.अपराध संख्या 183/98, धारा 147,148,149,307 भास्तीय दण्ड विधान थाना- किशनपुर,जनपद-फतेहपुर एवं 4.अपराध संख्या 184/98, धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना- किशनपुर,जनपद-फतेहपुर तथा 5.अपराध संख्या 32/99, धारा 307 भारतीय दण्ड विधान थाना-किशनपुर, जिला फतेहपुर,**3-आप अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश के विरूद्ध** 1. अपराध संख्या 68/98, धारा 396 भारतीय दण्ड विधान थाना हरचन्द्रपुर,थाना-तिन्दुवारी,जनपद बांदा एवं 2.अपराध संख्या 32/99, धारा 307 भारतीय दण्ड विधान थाना-किशनपुर, जिला फतेहपुर ।**4-आप अभियुक्त छोटा के विरूद्ध** 1.अपराध संख्या 152/80, धारा 399,402 भारतीय दण्ड विधान थाना किशनपुर, जिला- फतेहपुर

,2.अपराध संख्या 153/80, धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना- किशनपुर, जनपद-फतेहपुर,3.अपराध संख्या 59/92, धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना-किशनपुर, जनपद-फतेहपुर एवं 4.अपराध संख्या 32/99, धारा 307 भारतीय दण्ड विधान थाना–किशनपुर, जिला फतेहपुर पंजीकृत है। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा कारित उपरोक्त कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 2/3 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है। के सम्बन्ध में कथन किया कि सभी मुकदमें में छूट गये है। प्रश्न सं० 3 लगायत प्रश्न सं० 10 के कथन एवं तथ्य को गलत कहा। प्रश्न संख्या 11 के सम्बन्ध में बताया कि नही मालूम है तथा प्रश्न संख्या 12 के उत्तर में कहा कि गलत विवेचना की गयी है। प्रश्नसं० 13 को गलत प्रश्न सं० 14 के बारे में बताया कि नहीं मालूम प्रश्न सं० 15 को गलत तथा प्रश्न सं० 16 के सम्बन्ध में कहा कि गलत विवेचना की गयी है,पी०डब्लू08 के साक्ष्य को गलत कहा है। मुकदमा रंजिशन चला। सफाई साक्ष्य देने से इन्कार करते हुए कथन किया कि फर्जी फसाया गया है। ऐसा ही कथन अभियुक्त छोटा ने भी अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया है।

12. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया कि, अभियुक्त अब्दुल रसीद गिरोह का गैंग लीडर है जो फरार है अपने साथियों के साथ गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करके अपने एवं अपनों को नाजायज आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से जनपद फतेहपुर एवं पड़ोसी जनपद बांदा मे हत्या,लूट,डकैती,रोड होल्डप जैसे जघन्य अपराधो में लिप्त है। अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश एवं छोटा इस गैंग के सक्रिय सदस्य है। इस गैंग का सक्रिया सदस्य सह अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन ने अपना जुर्म धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट में स्वीकार किया गया है जिसको न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा चुका है। अभियुक्तगण-अब्दुल रसीद,पंकज उर्फ रमेश,ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन एवं छोटा ने दिनांक 08.04.99 को समय करीब 18.30 बजे अपने-अपने अग्नेयास्त्र से पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किये,पुलिस बल पेड़ो की आड लेकर अपना बचाव किए एवं जबाव में पुलिस बल ने भी अपने बचाव में फायर किए। अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया तथा शेष तीन अभियुक्तगण अब्दुल रसीद,पंकज उर्फ रमेश एवं छोटा को मौके पर ही पुलिस बल ने गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से अग्नेयास्त्र एवं खोखा व जिन्दा तथा मिस कारतूसों की बरामदगी की गयी जिनकी संपुष्टि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये साक्षीगण पी०डब्लू० 1 लगायत पी०डब्लू० 8 द्वारा दी गयी मौखिक साक्ष्य एवं अभियोजन प्रपत्रों से होती है। जहॉ तक अभियुक्तगण का कथन है कि गैग चार्ट के दर्शित मुकदमो में वे छूट चुके है तो इसका लाभ उन्हे नहीं मिल सकता है। क्योंकि **इरफान उल्ला एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी०एवं अन्य 2010 (69) ए०सी०सी० 256** का उल्लेख है, जिसमें माननीय् उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मुकदमों का दर्ज होना एक सम्पुष्टि सम्बन्धी साक्ष्य है अतः उक्त मुकदमें का दोषसिद्ध होना अथवा दोषमुक्त होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि साक्ष्यों से यह तथ्य प्रमाणित होना आवश्यक है कि अभियुक्तों का समाज में भय व आतंक है और वे सामाजिक शान्ति व्यवस्था को चुनौती देते हुए अपराध कारित करते हैं। अभियुक्तगण उपरोक्त का जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त है। भारतीय दण्ड विधान के अध्यय 16,17 व 22 में वर्णित दण्नीय अपराधो में लिप्त रहते हुए सह अपराधी ओम प्रकाश उर्फ छुट्टन पुत्र शीतल केवट निवासी अहमदगंज थाना किशनपुर जिला फतेहपुर के साथ अवैध गैंग

बनाकर वर्ष 1998 से अपराध जगत में सक्रिय है। इनका एक अवैध शसस्त्र गैंग है जो जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त किये हुए है जो जुर्म धारा 2/3 गैगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो अभियोजन के साक्ष्य से सिद्ध एवं प्रमाणित है। अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। अभियोजन साक्ष्यों से अभियोजन कथानक युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित है। अतः अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश एवं छोटा को आरोपित अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाये।

13. अभियोजन के उपरोक्त तर्कों के खण्डन में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि, अभियोजन कथानक के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करना कहा गया है किन्तु पुलिस पार्टी के किसी भी सदस्य को कोई चोटे नहीं आयी है। फर्जी कहानी बनाकर एवं फर्जी अग्रेयास्त्र की बरामदगी दिखाकर उनको इस मामले में मिथ्या आलिप्त किया गया है। गैंग चार्ट प्रदर्श क-2 में दर्शित मुकदमों में अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके है। घटना दिनांक 08.04.99 को समय 18.30 बजे अप्रैल माह की है,इस समय काफी प्रकाश एवं लोगो का आवागमन बना रहता है। इसके बावजूद जनता के गवाहान को साक्षी नहीं बनाया गया है। बरामद बन्दूक,तमंचा व कारतूसो के संबंध में विधि विज्ञान की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं है। उक्त के खण्डन में अभियोजन द्वारा कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश एवं छोट गैंग चार्ट प्रदर्श क-2 में अंकित सभी मुकदमों में दोषमुक्त न हुए हो। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ देकर उन्हे दोषमुक्त किया जाये।

14. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को दौरान बहस सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

15. अभियोजन की ओर से तर्क लिया गया है कि पी०डब्लू० 1 लगायत पी०डब्लू० 8 द्वारा अभियुक्तगण के गैंग द्वारा अपराध किए जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य दी गयी है तथा अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन द्वारा विशेष सत्र विचारण संख्या में दोषसिद्ध होना स्वीकार किया गया है। इस कारण से अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश पुत्र कृष्णपाल केवट निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर (A2) एवं छोटा पुत्र बुचुवा केवट निवासी रामदयाल का डेरा मडैयन, मजरे गढ़ा थाना किशनपुर, जिला– फतेहपुर (A4) को दोषसिद्ध किए जाने का अनुरोध किया गया है।

16. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अब इस बिन्दु पर विचार किया जा रहा है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश पुत्र कृष्णपाल केवट निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर, जनपद–फतेहपुर (A2) एवं छोटा पुत्र बुचुवा केवट निवासी रामदयाल का डेरा मडैयन, मजरे गढ़ा थाना किशनपुर, जिला– फतेहपुर (A4) के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित कर पाया है?

17. उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा-3 में गिरोहबन्द को दण्डित किए जाने का उपबन्ध किया गया है। "गिरोहबन्द" को उपरोक्त अधिनियम की धारा-2(ग) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि "गिरोहबन्द का तात्पर्य गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के

क्रियाकलाप के लिए, चाहे ऐसा क्रियाकलाप किए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसी क्रियाकलाप किये हों, संश्रय देता है।" स्पष्ट है कि गिरोहबन्द का तात्पर्य गिरोह के सदस्य अथवा सरगना या संगठक से है।

"गिरोह" शब्द को उपरोक्त अधिनियम की धारा-2(ख) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि-

"गिरोह का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टेम्पोरर), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या उत्पीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से निम्न लिखित समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हैं अर्थात-
(एक) भारतीय दण्ड संहिता 1860 (अधिनियम संख्या-45 सन 1860) के अध्याय-16 या अध्याय-17 या अध्याय-22 के अधीन दण्डनीय अपराध या
(दो)---
(तीन)---
…...................
….........................।"

स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा-2(ग) में परिभाषित "गिरोहबन्द" था, यह साबित करना होगा कि अभियुक्तगण का समूह उपरोक्त अधिनियम की धारा-2(ख) में परिभाषित "गिरोह" शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत आता था।

18. अभियोजन को यह सिद्ध करना होगा कि अभियुक्त ऐसे व्यक्तियों के समूह का सदस्य, सरगना या संगठक था, जो कि

1- (ए)- लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने या
(बी)- अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टेम्पोरर), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से

2- अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या उत्पीड़न, या अन्य तरीके से

3- भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय-16, 17 व 22 में उपबंधित अपराध या उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा-2 (ख) (एक) में उल्लिखित अन्य अपराधों को करके समाज विरोधी क्रियाकलाप करते थे।

19. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपनी विभिन्न विधि व्यवस्थाओ में यह सम्प्रेक्षित किया गया है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए यह देखा जाना महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त द्वारा अपने सदस्यों के साथ मिलकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टेम्पोरर), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या उत्पीड़न, या अन्य तरीके से भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय-16, 17 व 22 में उपबंधित अपराध या उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा-2(ख)(एक) में उल्लिखित अन्य अपराधों को करके समाज विरोधी क्रियाकलाप किया जाता था।

<u>माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा</u> **<u>APPLICATION U/S 482 No.- 11645 of 2007 Sartaj Vs. State Of U.P.</u>** में पारित आदेश दिनांकित 13.08.2019 के पैरा-15 एवं 16 में निम्नवत् अवधारित किया गया है-

15. A perusal of the aforesaid sections shows that the applicant was implicated in an offence under chapter 16, I.P.C. and therefore he was implicated in the case under the Gangsters Act. There is only one case shown against the applicant in the gang chart in which the applicant was acquitted by the competent Court and therefore his implication and trial under Section 2/3 of the Gangsters Act was not justified.

16. From the law of the Apex Court as discussed above it is crystal clear that the trial of the applicant for an offence under Section 2/3 of the Gangsters Act is not justified. In view of the fact that only one case is registered against him and he has been acquitted in that case.

उपरोक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है कि जिन दर्ज अभियोगों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है, यदि उन्हीं मूल अभियोगों में अभियुक्तगण की दोषमुक्ति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को गैंगेस्टर के अन्तर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, जब तक कि गैंगेस्टर ऐक्ट के सम्बन्ध में उपरोक्त मूल अभियोगों के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध न हो।

<u>माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड की विधि व्यवस्था 2020 (113) ACC 179 RAVI Vs. STATE OF UTTARAKHAND</u> का ससम्मान अवलोकन किया गया। उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से स्पष्ट है कि उ० प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन द्वारा यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा हिंसा, धमकी, अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा आपराधिक कार्य किये गये हों।

20. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओ तथा गैंगेस्टर ऐक्ट के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार किया गया। गैंगचार्ट प्रदर्श क-2 में अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्शित मुकदमा अपराध संख्या के सम्बन्ध में ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि तथाकथित अपराध इस कारण से अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था कि अभियुक्तगण ने लोक व्यवस्था को भंग किया था अथवा भौतिक, आर्थिक व सांसारिक लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से वह घटना कारित की गयी थी। ऐसी स्थिति में मुकदमा अपराध संख्या के पंजीकृत होने मात्र से अभियोजन को गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप सिद्ध किए जाने में कोई बल नहीं मिलता है।

21. अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट में अंकित अपराध संख्याओ के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से पी०डब्लू० 1 लगायत पी०डब्लू० 8 के सम्बन्ध में विचार किया गया। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 8 का०मो० अतुल तिवारी को द्वितीयक साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया। जिसका मुख्य परीक्षा में कथन है कि,'' इस समय वह थाना किशनपुर में का०मो० के पद पर थाना कार्यालय में तैनात है। कार्यालय का अभिलेख के अनुसार दिनांक 08.04.99 को का०मो० गोविन्द प्रसाद पाण्डेय थाना कार्यालय में का०मो० के पद पर तैनात थे। पत्रावली में संलग्न चिक FIR 4अ/1 गोविन्द प्रसाद पाण्डेय के लेख व हस्ताक्षर में होने की पहचान व पुष्टि किया। जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। पत्रावली में संलग्न अभियोजन स्वीकृति थानाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह द्वारा की गयी है। पत्रावली में संलग्न अभियोजन स्वीकृत कागज संख्या 4अ जो बाबूराम यादव जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा की गयी है। जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है। इस पर **प्रदर्श क–6** डाला

गया। पत्रावली में संलग्न आरोप पत्र कागज संख्या 6 अ/1 धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता व 6 अ/4 धारा 25 आयुध अधिनियम का आरोप पत्र थानाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह द्वारा प्रेषित किया गया है जिसकी पहचान व पुष्टि कार्यालय अभिलेख में बने हस्ताक्षर को देखकर वह करता है। जिनपर क्रमशः **प्रदर्श क 7 एवं प्रदर्श क–8** डाला गया। ....साक्षी का जिरह में कथन है कि," मै थाना किशनपुर में 15 सितम्बर 2024 से तैनात हूँ जो धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 25 आयुध अधिनियम का आरोप पत्र व FIR है यह कार्यालय की है। जिसको वह पहचनता है। उसके सामने कोई लिखा पढ़ी नीं हुयी थी। वह स्वयं कार्यालय अभिलेख के अनुसार पहचानता है। यह दरोगा जी उसके साथ नहीं रहे है। उपरोक्त साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि यह साक्षी न तो प्रस्तुत मामले की पुलिस द्वारा की जा रही गैंगेस्टर एक्ट कार्यवाही के समय थाने पर उपस्थित रहा है न ही अभियुक्तगण व पुलिस बल के मध्य हो रहे मुठभेड के समय घटनास्थल पर उपस्थित रहा है। इस साक्षी ने मात्र उक्त अभियोजन प्रपत्र को द्वितीयक साक्षी के रूप में मौखिक साक्ष्य देकर प्रमाणित किया है।

22. गैंग चार्ट प्रदर्श क–2 में दर्शित मुकदमा अपराध संख्या–164/98 धारा 452, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता, थाना किशनपुर जिला फतेहपुर विरूद्ध फरार अभियुक्त अब्दुल के मामले से सम्बन्धित है के वादी मुकदमा मोहम्मद मन्जूर को अभियोजन द्वारा पी०डब्लू03 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिसने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि,'' दिनांक 20.08.98 को रात में करीब 11 बजे मेरे घर में घुसकर रसीद व मुजीब अहमद ने मुझे व मेरी माॅ को मारा था। जिसका मुकदमा मैने दिनांक 21.08.98 को 9.30 बजे दिन में थाना किशनपुर में लिखवाया था जो अपराध संख्या 164/98 धारा 452, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता में कायम हुआ था एवं जिसका मुकदमा खागा की अदालत में चला था जिसमें दोनों मुल्जिमान को सजा हो गयी थी, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि फैसला भी लाया हूँ। जिसकी फोटो प्रति दाखिल कर रहा हूँ। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया जो असल के मुताबिक है। ....इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह कहा है कि मारपीट मेरे घर में दिनांक 20.08.98 को रात 11 बजे रात में हुयी थी। वहां पर काफी इकट्ठा थे पर वह किसी का नाम नहीं बता सकता। मै मुल्जिम को जानता हूँ। इन लोगो ने मारपीट किया था। घटना के समय लालटेन जल रही थी। मैने दरोगा जी को यह बात बतायी थी कि लालटेन घटना के समय जल रही थी। लालटेन जलने की बात गिरोहबन्द अधिनियम वाले बयान में नहीं लिखा है लेकिन मारपीट के घटना वाले में लिखा है। यदि मेरे बयान में लालटेन की रोशनी के बारे में नहीं लिखा है तो मै इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। मेरे गांव बडहा से ग्राम गढा टिकरी किलो डेढ किलोमीटर पड़ेगा। गढा के 4–5 आदमियों को मै जानता हूँ। गढा के कादिर , मञ्जू, जौब्बाद आदि को जानता हॅू। उपरोक्त लोगों के अलावा गढ़ा गॉव के लोगों को नाम से नहीं जानता हूॅ। मुल्जिमान गाली देकर मेरे दरवाजे पर आए थे एवं मारपीट किया था, इसलिए जानता हॅू। अभियुक्त रसीद गन्ज के रहने वाले है। मेरे गॉव से गन्ज दिखायी देता है। यह उत्तर पश्चिम के कोने पर है जो 2–3 किलोमीटर पर मेरे गॉव से होगा। गन्ज के और लोगों को नहीं जानता। रसीद जिनके घर आते–जाते थे इसिलए पहले से जानता था। मेरी कभी मुल्जिम रसीद से आज तक कोई बातचीत नहीं हुयी। इस स्तर पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह मामला अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश एवं छोटा के सम्बन्ध में नहीं है। मामला अभियुक्त अब्दुल रसीद एवं अन्य से सम्बन्धित है। अभियुक्तगण पंकज एवं छोटा को उक्त साक्षी द्वारा मौके पर नहीं देखा गया। साक्षी पी०डब्लू03 का जिरह में अभियुक्त रसीद एवं मुजिब को पहिचानने की बात कही है अन्य को पहिचानने की बात नहीं बतायी है। विशेष लोक अभियोजक ने खण्डन में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण गैंग के सक्रिय सदस्य है, रात होने की वजह से नहीं पहिचान पाया, इससे अभियुक्तगण की भूमिका संदिग्ध नहीं हो जाती है।

23. उपरोक्त तर्क के आलोक में साक्षी पी०डब्लू03 के बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला धारा 452, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता से सम्बन्धित है, जिसमें अभियुक्तगण रसीद एवं अब्दुल को दोषसिद्ध किया गया जिसके निर्णय की छायाप्रति प्रदर्श क–2 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है जो उक्त साक्षी पी०डब्लू03 एवं कथित अभियुक्तगण रसीद एवं मुजीब के मध्य मारपीट व गाली गलौज से सम्बन्धित है। जिनमें अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमशे एवं छोटा अभियुक्तगण नही है तथा इनको पहिचाने जाने की बात उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में नहीं बताया है। गैंग चार्ट प्रदर्श क–2 में दर्शित मुकदमें के एक अन्य साक्षी पी०डब्लू० 2 जाफर अली को परीक्षित कराया गया जिसका मुख्य परीक्षा में कथन है कि,'' मेरे घर आज से करीब 5 साल पहले डकैती पड़ी थी। रात के करीब 12 बजे का समय था। मै अपने घर के अन्दर सोया हुआ था। मेरे घर में अन्दर मेरी लड़की, मेरी बहू एवं बच्चे भी थे। बदमाश आंगन से कूद कर मेरे घर के अन्दर आए थे। बदमाशों ने मुझे मेरे अंगौछे से चारपाई में बांध दिया। बदमाश मेरी घड़ी छीन लिया एवं मेरी औरत से जबरजस्ती चाभी लेकर मेरे घर में घर के सामान, नकदी 50,000/– रूपये, घड़ी 5 अद्द, जेवरात लूट ले गये। टी०वी० ट्रांजिस्टर, कैमरा और सामान लूट लिया। **<u>मौके पर मै नहीं पहचान पाया। किसे पास से क्या सामान बरामद हुआ मै नही जान पाया। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित कर</u>** प्रतिपरीक्षा की गयी तो साक्षी ने कथन किया कि,'' मैने थाने पर रिपोर्ट लिखाया था, उसकी कापी मुझे मिली थी। उसकी फोटो प्रति आज दाखिल कर रहा हूँ जो नकल मुताबिक सामान है जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। .... साक्षी ने अपनी जिरह में यह कहा है कि,'' दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था। मैने दरोगा जी को बताया था कि मुल्जिमान ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन, रसीद, खान मोहम्मद, रमेश, रामबरन, चुन्नी आदि पकड़े गये थे जिसके कब्जे से मेरा लूटा माल बरामद हुआ था।'' यह कहना गलत है कि मै जानबूझकर डर के कारण मुल्जिमान का नाम नहीं बता रहा हूँ। किन्तु उक्त साक्षीगण के बयान से स्पष्ट है कि उनके एवं अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि तथाकथित अपराध इस कारण से अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था कि अभियुक्तगण ने लोक व्यवस्था को भंग किया था अथवा भौतिक, आर्थिक व सांसारिक लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से वह घटना कारित की गयी थी। ऐसी स्थिति में मुकदमा अपराध संख्या के पंजीकृत होने मात्र से अभियोजन को गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप सिद्ध किए जाने में कोई बल नहीं मिलता है।

24. गैंगचार्ट प्रदर्श क-2 में अभियक्तगण **<u>पंकज उर्फ रमेश के विरूद्ध</u>** 1. अपराध संख्या 68/98, धारा 396 भारतीय दण्ड विधान थाना हरचन्द्रपुर, थाना-तिन्दुवारी, जनपद बांदा एवं 2.अपराध संख्या 32/99, धारा 307 भारतीय दण्ड विधान थाना-किशनपुर, जिला फतेहपुर एवं **<u>अभियुक्त छोटा के विरूद्ध</u>** 1.अपराध संख्या 152/80, धारा 399,402 भारतीय दण्ड विधान थाना किशनपुर, जिला-फतेहपुर ,2.अपराध संख्या 153/80, धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना-किशनपुर, जनपद-फतेहपुर, 3.अपराध संख्या 59/92, धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना- किशनपुर, जनपद-फतेहपुर एवं 4.अपराध संख्या 32/99, धारा 307 भारतीय दण्ड विधान थाना–किशनपुर, का प्रश्न है तो विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया कि उक्त सभी मुकदमा में वे दोषमुक्त हो चुके है। जिसके खण्डन में अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो कि अभियुक्तगण दोषसिद्ध किए गए है।

25. उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत पत्रावली पर उपलब्ध परीक्षित मौखिक साक्षीगण के साक्ष्य का परिशीलन एवं विश्लेषण किया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०

7 निरीक्षक कमलेश कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि," मै दिनांक 25.9.98 को थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। मुकदमा अपराध संख्या 183/98 धारा 307 बनाम ओम प्रकाश व मुकदमा अपराध संख्या 184/98 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम ओम प्रकाश एवं मुकदमा अपराध संख्या 185/98 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम धनराज उर्फ कमलेश थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर की प्रारम्भिक विवेचना उनके द्वारा की गयी थी। स्थानान्तरण होने के पश्चात अग्रिम विवेचना SI छत्रपाल सिंह चौहान द्वारा सम्पादित की गयी थी तथा आरोप पत्र संख्या 100/01 दिनांकित 23.12.98 प्रथम दृष्टया अपराध साबित होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था। गैंगेस्टर एक्ट के विवेचक ने उसका बयान लिया था। ....इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह कहा है कि," वह थाना किशनपुर में 1998 में तैनात था। महीना इस समय याद नहीं हैं। 25 सितम्बर 1998 को विवेचना मिली थी। अपराध संख्या 183/98 धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, अपराध संख्या 184/98 धारा 25 आयु अधिनियम, अपराध संख्या 185/98 धारा 25 आयुध अधिनियम में छोटा व पंकज इस अपराध संख्या में अभियुक्त है या नहीं नहीं बता सकता। गैंगेस्टर में उसने पर्चे काटे या नहीं, उसे याद नहीं है। उसका ट्रांसफर हो गया था। फिर किसकी विवेचना मिली उसे जानकारी नहीं है। उसकी तैनाती के समय के मुकदमें थे या नहीं उसे याद नहीं है।

26. अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 शिव किशोर मिश्रा तत्कालीन थानाध्यक्ष जो कि प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा है को परीक्षित कराया गया। जिसका मुख्य परीक्षा में कथन है कि,'' दिनांक 08.04.99 को वह थानाध्यक्ष किशनपुर के पद पर तैनात था। उस दिन उपनिरीक्षक के०के०सविता व एस.सी०सुरेन्द्र कुमार सिंह, का० धनराज पाण्डेय तथा का० सर्वेश कुमार पाण्डेय के साथा थाना स्थानीय से बहवाले रपट संख्या 20 समय 15.45 बजे सरकारी जीप मय चालक का० रामजीराम रवाना होकर तलाश वांछित अपराधी उमर केवट करता हुआ ग्राम चन्दवाइन डेरा से रामपुर भसरोल जंगल होते हुए मरघटा घाट की तरफ जा रहे थे कि जब वह लोग महेश बाबा मन्दिर से दक्षिण मडौली घाट जाने वाले रास्ते के पास पहुॅचे तभी मरघटा घाट की तरफ से चार आदमी अपने-अपने हांथों में बन्दूके तमन्चा लिए हुय आते दिखायी दिए जो पुलिस वालो को देखकर ठठके एवं पीछे मुड़कर जाने लगे जिस पर मैने उन्हे बुलन्द आवाज में ललकारते हुए कहा कि अपने-अपने हथियार डाल कर आत्मसमर्पण कर दो जिस पर चारो बदमाशो ने पुलिस बल को जान से मार डालने की नीयत से फायरिंग करने लगे। पुलिस के लोग पेड व झाड़ की आड लेकर बाल-बाल बच गये एवं उन्होने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा में अपने हाथ में ली हुयी रिवाल्वर से दो फायर एवं एच०सी० सुरेन्द्र प्रताप मिश्र एवं का० धनराज पाण्डेय ने अपने पास ली हुयी राइफल से एक-एक फायर बदमाशों की तरफ किया। जिससे बदमाशों के हौसले पस्त हो गये। मरघाट की तरफ भागने लगे जिस पर बदमाशों को दोबार लोड करने का मौका न देते हुए घेर कर आवश्यक बल प्रयोग करके मरौली घाट जाने वाले तिराहे से लगभग 125 कदम की दूरी पर मरघटा घाट को जाने वाले रास्ते पर पकड लिया एवं उनसे नाम पता पूछते हुए क्रमशः एक के बाद दूसरे की जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त अब्दुल रसीद के दाहिने हाथ से एक SBBL गन चालू हालत में जिसके चेम्बर में एक खोखा कारतूस एवं पहिने हुए पैन्ट की दाहिनी जेब से चार अदद कारतूस एक नम्बर के तथा एक मिस तथा एक कारतूस डबल बी बरामद हुआ तथा पंकज उर्फ रमेश के दाहिने हांथ से एक अदद SBBL गन देशी चालू हालत में जिसके चेम्बर से एक खोखा कारतूस तथा पहिने हुए पठानी सूट के कुर्ते के बाये सीने की जेब से तीन अदद कारतूस प्लास्टि एक नम्बर बरामद हुयी एवं अभियुक्त छोटा के दाहिने हाथ से एक अदद तमन्चा देशी 12 बोर जिसके चेम्बर से एक अदद खोखा कारतूस एवं पहने हुए कुर्ते के दाहिनी वाली जेब से एक अदद मिस

कारतूस एक नम्बर का तथ एक कारतूस बीबी बरामद हुआ। तीनो असलहो के नाल से सूंघने पर ताजी बारूद की गंध आ रही थी। अभियुक्तगण को बताया गया कि पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायर करना धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता तथा अवैध नाजायज असलहा रखना धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अभियुक्त अब्दुल रसीद मुकदमा अपराध संख्या 45/98 धारा 395/397 भारतीय दण्ड संहिता, थाना खखरेरू तथा मुकदमा अपराध संख्या 68/98 धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता, थाना–तिन्दवारी जिला बांदा के मुकदमें में धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कार्यवाही के बाद तथा अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश मुकदमा अपराध संख्या 68/98 धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता, थाना तिन्दुवारी, जनपद बांदा के मुकदमे में धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही के बार फारर चल रहा था। अभियुक्त अब्दुल रसीद मुकदमा नम्बर 975/97 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना खखरेरू के मुकदमें में वारण्टी था। इन मुकदमों में भी अभियुक्तगण को वजह गिरफ्तारी बताकर पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद अवैध अग्नेयास्त्र तथा कारतूसो को कब्जा पुलिस में लेकर अलग–अलग कपडो में रखकर सिलकर सर्वमुहर करके नमूना मुहर बनाया गया तथा रिवाल्वर के दोनों खोखा कारतूसो व राइफर से किये गये दोनों खोखा कारतूसों एक कपड़े में अलग रखकर सिलकर सर्वमुहर करके नमूना मुहर बनाया गया। हमराही पुलिस बल से पूछने पर उन्होने बताया कि उन्हे कोई चोटे नहीं लगी। उपरोक्त कृत्यो से स्पष्ट है कि वह जनपद फतेहपुर एवं पड़ोसी जनपद बांदा मे हत्या, लूट, डकैती, रोड होल्डप जैसे जघन्य अपराधो में लिप्त है। इनका जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त है। भारतीय दण्ड विधान के अध्यय 16, 17 व 22 में वर्णित दण्नीय अपराधो को करके अवैध रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए धन अर्जित करते है। यह वर्ष 1998 से अपराध जगत में सक्रिय है। इनका एक अवैध शसस्त्र गैंग है जो जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त किये हुए है जो जुर्म धारा 2/3 गैगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। गिरफ्तारी वजह बताकर उन्हे हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के संबंध में उनके परिवारिक सदस्यो को सूचना दी गयी। फर्द बरामदगी मौके पर टार्च की रोशनी में उपनिरीक्षक केदारी लाल सविता से बोलकर लिखाकर पढवाकर सुनाकर हमराही पुलिस बल के गवाही बनवाया। नकल फर्द अभियुक्तगण को देकर उनके हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा बनवाकर अपने भी हस्ताक्षर बनाया। मूल फर्द मेरी बोली व केदारीलाल की लिखी व दस्तखती में है। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। इस फर्द की प्रति मौके पर अभियुक्तगण को दी गयी, उनके निशानी अंगूठा व हस्ताक्षर फर्द पर बनवाये गये। अभियुक्त पंकज, अब्दुल रसीद तथा छोटा ,ओम प्रकाश कुख्यात सह अपराधी के गैंग के सक्रिय सदस्य है। यह लोग अपने व अपने गैंग के सदस्य के लाभ के लए अवैध तरीके से धन अर्जित करते है। इनका भय व आतंक क्षेत्र में व्याप्त है। इनके विरूद्ध कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। घटना अचानक जंगल की होने की वजह से जनता का गवाहन उपलब्ध नहीं हो सके। इसके बाद सर्व मोहर बण्डल मय नमूना मोहर तथा अभियुक्तगण को लेकर थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया।

एक सर्वसील मोहर बंडल अपराध संख्या 33/99 का माल न्यायालय के समक्ष खोला गया। पुलिन्दा के अन्दर एक SBBL गन देशी चालू हालत में चार कारतूस जिनमें से तीन कारतूस एक नम्बर के 12 बोर जिनमें एक मिस है, एक कारतूस 12 बोर बीबी की है तथा एक कारतूस खोखा निकला। साक्षी ने देखकर बताया कि यह बन्दूक व कारतूस अब्दुल रसीद के कब्जे से घटना के दिन मौके पर बरामद हुयी थी। SBBL गन पर **वस्तु प्रदर्श 1** व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर नम्बर 1 पर वस्तु **प्रदर्श 2 व 3** डाला गया। मिस कारतूस 12 बोर नम्बर 1 पर **वस्तु प्रदर्श 4** व खोखा कारतूस पर वस्तु **प्रदर्श 5** व कारतूस बीबी 12 बोर जिन्दा पर वस्तु **प्रदर्श 6** डाला गया।

दूसरा सर्वसील मोहर बंडल अपराध संख्या 34/99 माल न्यायालय के समक्ष खोला गया। इस पुलिन्दा के अन्दर से एक बन्दूक देसी SBBL चालू हालत में व तीन कारतूस प्लास्टिक 12 बोर जिन्दा व एक कारतूस खोखा अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश के कब्जे से घटनास्थल पर बरामद हुआ था। साक्षी ने माल को देखकर अभियुक्त पंकज के पास से बरामद होना कहा। बन्दूक पर **वस्तु प्रदर्श 7**, कारतूस पर क्रमश **8, 9, 10** एवं खोखा कारतूस पर वस्तु **प्रदर्श –11** डाला गया।

तीसरा सर्व मोहर बंडल अपराध संख्या 35/99 न्यायालय के समक्ष खोला गया। इस पुलिन्दा में से एक तमंचा 12 बोर चालू हालत में व दो कारतूस 12 बोर निकले जो जिन्दा कारतूस है। इनमें एक कारतूस एक नम्बर का एक कारतूस बीबी का है एवं एक कारतूस खोखा निकला, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह माल अभियुक्त छोटा केपास से घटना के समय बरामद हुआ था। तमंचे पर **वस्तु प्रदर्श 12**, दोनों जिन्दा कारतूस पर क्रमश वस्तु **प्रदर्श 13 व 14** तथा खोखा कारतूस पर **वस्तु प्रदर्श 15** डाला गया।

एक सर्वमोहर बण्डल अपराध संख्या 32/99 का माल न्यायालय के समक्ष खोला गया उसमें से दो खोखा कारतूस 303 बोर रायफल एवं दो कारतूस 38 बोर रिवाल्वर निकला जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि मैने आत्मरक्षार्थ मौके पर फायरिंग किया था। रिवाल्वर खोखा कारतूस पर जो क्रमशः वस्तु **प्रदर्श 16 व 17** डाला गया एवं खोखा कारतूस 303 बोर राइफल हमराही एच०सी० सुरेन्द्र प्रताप सिंह व का० धनराज पाण्डेय द्वारा आत्मरक्षार्थ चलाये गये थे, जिस पर **वस्तु प्रदर्श 18 व 19** डाला गया। पत्रावली में संलग्न गैंग चार्ट मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जो तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 09.04.99 से अनुमोदित है, इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। ....साक्षी पी०डब्लू01 शिव किशोर मिश्रा तत्कालीन थानाध्यक्ष जो कि प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा है ने अपनी जिरह में कहा है कि ,'' अपराध संख्या 35/99 कपड़े (माल) पर मेरे अलावा किसी हमराही पुलिस के हस्ताक्षर नहीं है और न ही सील कपडे पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है। बरामदगी प्रस्तुत तमंचे क नाल पर 221/99 गुदा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद माल मुल्जिम व माल मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। प्रस्तुत माल की सीलपर किसी भी मजिस्ट्रेट के भी हस्ताक्षर नहीं है। उक्त साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि न्यायालय के समक्ष खोले गये माल जिन्हे अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद होना कहा गया है उन पर उक्त साक्षी के_अलावा किसी हमराही पुलिस के हस्ताक्षर नहीं है और न ही सील कपडे पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है। यह भी जिरह में स्पष्ट किया कि प्रस्तुत माल की सील पर किसी भी मजिस्ट्रेट के भी हस्ताक्षर नहीं है। उपरोक्त दर्शित परिस्थितियों में न्यायालय के अभिमत में यह माने जाने का पर्याप्त आधार नहीं है कि जो माल न्यायालय के समक्ष दौरान साक्ष्य प्रस्तुत कर उक्त साक्षी से साबित कराया गया वह बन्दूक, तमंचा व कारतूस अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुए थे।

27. साक्षी पी०डब्लू01 शिव किशोर मिश्रा तत्कालीन थानाध्यक्ष जो कि प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा है ने जिरह में कहा कि मै थाने से 15.45 बजे निकला था। मै उमर गैंग की तलाश करता हुआ क्षेत्र में घूम रहा था। मुझे ध्यान नहीं है कि मै किन–किन गॉव में गया। मेरे साथ SI केदारी लाल सविता, हेड का०सुरेन्द्र कुमार मिश्रा, का० धनराज पाण्डेय, का० सर्वेश कुमार पाण्डेय व ड्राइवर रामजीराम थे। जब मै अपने क्षेत्र में घूम रहा था ध्यान नहीं है कि कोई मिकामतकर्ता मिले थे। थाने से घटना स्थल पर पहुॅचने पर पौने पांच घंटा लगा। घटनास्थल मरघटा घाट ग्राम रामपुर भसरौल के जंगल में स्थित है। जब मुल्जिमान पर मेरी पहली बार नजर पड़ी तो वह लगभग 25 कदम की दूरी पर थे। मै जीप पर बैठा था। हम लोग पूरब की तरफ आ रहे थे। जीप मरघटा घाट की ओर मुड रही थी। मुल्जिमान की हम लोगो से पहले पहली बार नजर मिली तो एकदम से पीछे मुडकर तेज कदम से वापस मरघटा घाट की ओर

जाने लगे। मैने जीप से तुरन्त उतर कर तुरन्त ललकारा कि तुम सब पुलिस घेरे में हो अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दो वर्ना सभी मारे जाओगे।''अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 निरीक्षक मधुसूदन सिंह का मुख्य परीक्षा में कथन है कि मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उन्हे दिनांक 03.07.1999 को मिली, जिसे ग्रहण किया एवं पर्चा संख्या 8 प्रेषित किया। इसके पश्चात दिनांक 15.08.99 को पर्चा नमबर 9 जिसमें राकेशकुमार सिंह वादी मुकदमा अपराध संख्या 68/98 धारा 396 भारतीय दण्ड संहिता का बयान गाजीपुर जाकर दर्ज किया। इसके पश्चात FIR के लेखक मो०सलीम के बयान तथा इसी मुकदमें के विवेचक एम०पी०सिंह थानाध्यक्ष जसपुरा का बयान उसके पश्चात शिवकुमार मिश्रा पूर्व थानाध्यक्ष किशनपुर का बयान अंकित किया उसके पश्चात SI कमलेश कुमार विवेचक मुकदमा अपराध संख्या 183, 184 सन 1998 धारा 147, 148, 149, 307, भारतीय दण्ड संहिता व 25 आयुध अधिनियम के बयान, उसके पश्चात SI गोपाल शर्मा, विवेचक अपराध संख्या 45/98, धारा 395, 397 भारतीय दण्ड संहिता के बयान अंकित किये गये। दिनांक 18.08.99 को वादी अपराघ संख्या 45/98 धारा 395, 397 भारतीय दण्ड संहिता जाफर अली निवासी खखरेरू के बयान अंकित किए गये। तदोपरान्त वादी मुकदमा अपराध संख्या 164/98 धारा 452, 323 भारतीय दण्ड संहिता मो० कपूर निवासी बरहा के बयान उसके पश्चात ASI हरिशंकर सिंह थाना किशनपुर जो अपराध संख्या 164/98 धारा 452, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता के विवेचक है, उनके बयान अंकित किये। उसके पश्चात हेड मोहर्रिर सुरेन्द्र प्रताप सिंह मिश्रा का बयान लिया गया था। साथ ही एच०एम० महावीर सिंह तथा कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया जो मुकदमा अपराध संख्या 59/92 धारा 60 आबकारी एक्ट, छोटा पुत्र बुचुवा केवट के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। उपरोक्त मुकदमें के विवेचक SI कृपा शंकर दीक्षित का बयान लिया गया। जिसके अरोप पत्र संख्या 60 दिनांक 21.05.1992 को प्रेषित किया गया था। पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही विवेचना करते हुये तपतीस से पाया गया कि अभियुक्त अब्दुल रसीद का एक गैंग है जो आर्थिक लाभ के लिये अपराध करता है। इसके गैंग के साथी ओम प्रकाश उर्फ छोट्टन पुत्र शीतल, पंकज पुत्र कृष्णपाल व छोटा पुत्र बुचुवा है। नका एक गैंग है। इनके विरूद्ध धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट बाखूबी साबित है। पत्रावली में संलग्न उक्त आरोप पत्र को साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होना तथा तैयार किया जाना सिद्ध व प्रमाणित किया जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। मेरे द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर के गैगेस्टर एक्ट का अभियोग चलाये जाने सम्बन्धित एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर दिनांक 27.08.99 को जिला अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था जो पत्रावली में कागज संख्या 5 क अंकित है जिसको साक्षी ने पहचान कर पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।........ किन्तु इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह कहा है कि दिनांक 3.07.99 से मैने इस मुकदमें की विवेचना प्रचालित की। मैने चार पर्चे काटे। मुझे यह याद नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट से कब अनुमति ली थी। चारो पर्चो में सेक्शन 14 की कार्यवाही करने के लिए मेरे द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। चश्मदीद गवाह का बयान मैने लिया हो उसका नाम मुझे इस समय याद नहीं है। मुल्जिमानो का थानो में कोई गैंग नम्बर नहीं है। गैंग चार्ट में गुण्डा एक्ट का कोई मुकदमा नहीं है। अभियुक्तगण के खिलाफ सेक्शन 107, 108, 109, 110 की कार्यवाही हुयी थी या नहीं मुझे याद नहीं है। **अभियोजन द्वारा परीक्षित एक अन्य साक्षी पी०डब्लू० 5** रिटायर्ड SI हरीशंकर सिंह, का मुख्य बयान में कथन है कि," मुकदमा अपराध संख्या 164/98 धारा 452, 323, 504, भारतीय दण्ड संहिता की विवेचना उसे मिली थी। जिसमें उन्होने वाद विवेचना अभियुक्त अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल बारी निवासी अहमदगंज थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 76/98 दिनांक 17.09.98 को धारा 452, 323, 504, भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया था, जिसकी छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। गैगेस्टर एक्ट के विवेचक ने उसका बयान

तत्कालीन थानाध्यक्ष मधुसूदन सिंह ने दिनांक 18.08.99 को लिया था। साक्षी ने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान का समर्थन किया। ....इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह कहा है कि,' वह थाना किशनपुर में जून 98 से फरवरी 2000 तक तैनात था। अपराध संख्या 164/98 धारा 452, 323, 504, भारतीय दण्ड संहिता की विवेचना उसे दिनांक 21.08.98 को मिली थी। इसमें उन्होंने कितने पर्चे काटे है, याद नहीं है। इन पर्चों में सेक्शन 14 का कोई जिक्र नहीं है। इस अपराध संख्या 164/98 में उसने इसके पहले गवाही दिया है या नहीं इससमय उसे याद नहीं है। यह मुकदमा पहले NCR में दर्ज हुआ था। यह मुकदमा न्यायालय से छूट गया है या चल रहा है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। FIR में केवल दो अभियुक्तो का नाम बताया गया है। रसीद एवं मुजीब अहमद गैगेस्टर के विवेचक ने उसका बयान लिया था कबल लिया था इस समय उसे याद नहीं है। विवेचना के समय पब्लिक के कोई गवाह नहीं मिले न ही FIR में दर्ज है। आरोप पत्र न्यायालय में कब दाखिल हुआ उसे याद नहीं है। .... साक्षी पी०डब्लू० 6 का० 435 धनराज पाण्डेय का मुख्य परीक्षा में कथन है कि,'' वह दिनांक 08.04.99 को SO किशनपुर के हमराह दस्यू उमर केवट के तलाश में रहा था कि मेश बाबा के मन्दिर के दक्षिण मड़ौली जाने वाले तिराहे के पास बदमाशों से मुठभेड हो गयी, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुयी, तीन बदमाश गिरफ्तार कर लिए गये लेकिन एक बदमाश भागने में सफल रहा। पकड़े गये बदमाश अब्दुल रसीद के पास से एक अदद देशी बन्दूक 12 बोर एक नाली तथा चार अदद कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ तथा दूसरा अभियुक्त पंकज पुत्र रमेश केवट के पास से एक अदद बन्दूक देशी 12 बोर व तीन अदद कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस बरामद हुआ तथा अभियुक्त छोटा पुत्र मुचुवा के पास से एक अदद तमंचा देशी 12 बोर व दो अदद कारतूस तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। बरामदशुदा असलहा व कारतूस व खोखा कारतूस अलग-अलग कपड़ो में सर्व मुहर करके कब्जा पुलिस में लिया गया। मौके पर SI साहब व आरक्षी के०एल०सविता ने टार्च की रोशनी में लिखा पढ़ी किया तथा फर्द पढ़कर सुनाये। वह लोग सुनकर उस पर हस्ताक्षर बनाये। सभी कार्यवाीमें हम लोग SO महोदय के साथ रहे। फर्द मुठभेड कागज संख्या 45/4 पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि किया। विवेचक ने उसका बयान दिनांक 19.044.99 को लिया था। साक्षी ने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान का समर्थन किया। ....इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह कहा है कि," मै सन 1998 से 2000 तक थाना किशनपुर में तैनात था। मै SO शिव किशोर मिश्रा के हमराह मय सरकारी जीप से गये थे। जीप का नम्बर मुझे याद नहीं है। हम लोग उमर केवट की तलाश में निकले थे। कहॉ-कहॉ गये थे यह याद नहीं है। अभियुक्तगणों का थाने में कोई गैंग नम्बर था या नहीं मुझे स समय याद नहीं है। कोई पब्लिक का गवाह गस्त के समय नहीं मिला। लगभग डेढ दो घंटे तक व लोग गस्त में थे। गस्त के समय अब्दुल रसीद, ओम प्रकाश एवं पंकज पकड़े गये थे। नके पास से अभियुक्त अब्दुल रसीद के पास से एक अदद देशी बन्दूक 12 बोर, चार जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ था। इनकी तलाशी SO साहब ने लिया था। उसने इनकी तलाशी नहीं लिया था। गैंगेस्टर के विवेचक ने दिनांक 19.04.99 को उसका बयान थाने पर लिया था। इस समय, समय का ध्यान नहीं है। SO साहब ने अभियुक्तगण के खिलाफ लूट की सम्पत्ति का ब्योरा FIR में दर्ज नहीं है और न ही लूट पाट किये है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 7 निरीक्षक कमलेश कुमार ने अपनी जिरह में यह कहा है कि," वह थाना किशनपुर में 1998 में तैनात था। महीना इस समय याद नहीं हैं। 25 सितम्बर 1998 को विवेचना मिली थी। अपराध संख्या 183/98 धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, अपराध संख्या 184/98 **धारा 25 आयु अधिनियम, अपराध संख्या 185/98 धारा 25 आयुध अधिनियम में छोटा व पंकज इस अपराध संख्या में अभियुक्त है या नहीं नहीं बता सकता। गैंगेस्टर में उसने पर्चे काटे या नहीं, उसे याद नहीं है। उसका ट्रांसफर हो गया था। फिर**

किसकी विवेचना मिली उसे जानकारी नहीं है। उसकी तैनाती के समय के मुकदमें थे या नहीं उसे याद नहीं है। उक्त साक्षीगण के मौखिक साक्ष्य के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि गैंगचार्ट प्रदर्श क-2 में अंकित अपराध संख्याओ के सम्बन्ध में विचार किया गया। न्यायालय में परीक्षित हुए किसी भी साक्षीगण द्वारा यहाॅ तक की पी०डब्लू01 वादी मुकदमा द्वारा ऐसा कोई तथ्य व साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त घटना अभियुक्तगण द्वारा लोक व्यवस्था को भंग करने या भौतिक, आर्थिक व सांसारिक लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से कारित की गयी थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन को उपरोक्त अभियोग के पंजीकृत होने मात्र से गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप सिद्ध किए जाने में कोई बल नहीं मिलता है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण ने कोई भय व आतंक का प्रदर्शन किया हो, जिससे लोक शान्ति भंग हो गयी हो और न ही कोई ऐसी साक्ष्य है,जिससे यह कहा जा सके कि अभियुक्तगण का समाज में भय व आतंक है,जिससे कोई व्यक्ति इनके विरुद्व शिकायत नहीं करता।

28. अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा शिव किशोर मिश्र को परीक्षित कराया गया है, जो कि गैंगेस्टर ऐक्ट के मुकदमे के वादी हैं। इस साक्षी द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के गैंग होने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी नहीं दी है। अभियोजन द्वारा ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश एवं छोटा द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की गयी है और न ही विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 14 गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गयी है। इस प्रकार पी०डब्लू० 1 द्वारा अभियुक्तगण का गैंग होने एवं उनके द्वारा अपराध किए जाने के सम्बन्ध में किये गये कथन सुनी सुनाई साक्ष्य के अन्तर्गत आते हैं, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ग्राहय नहीं है।

29. उपरोक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि इस मामले में पत्रावली पर ऐसा कोई भी अभिलेख या मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नही है जिसके फलस्वरूप यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्तगण का कोई संगठित गिरोह था और अभियुक्तगण एक गिरोह बन्द के रूप में हत्या, आपराधिक अस्तित्रास एवं आपराधिक बल प्रयोग करके अपराध कारित करते रहे हो। साक्ष्य से इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है कि अभियुक्तगण ने गिरोह बन्द के रूप में कोई आर्थिक भौतिक या दुनियाबी लाभ प्राप्त करके कोई चल या अचल सम्पत्ति बना ली हो और उल्लेखनीय है कि इस मामले में नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध इस विशेष अधिनियम की धारा 14 व 16 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गयी हो, विवेचना में इस प्रकार का कोई साक्ष्य संकलित नहीं हुआ कि अभियुक्तगण ने गिरोह बन्द के रूप में आपराधिक कार्य करते हुये कोई चल अचल सम्पत्ति अथवा कोई दुनियाबी लाभ स्वयं अर्जित किया हो या अर्जित करने में सहायता की हो। गैंग चार्ट में वर्णित कोई मामला यदि आपराधिक षण्डयन्त्र या सामान्य आशय या सामान्य उद्देदश्य का था तो उस आधार पर भी अभियुक्तगण को गिरोह बन्द नहीं माना जा सकता है। गैग चार्ट में उल्लखित किसी मामले में यदि दोष सिद्धि होती है या दोष मुक्ति होती है तो उस निर्णय का प्रभाव इस विशेष अधिनियम पर नहीं पड़ेगा और ऐसा नहीं माना जा सकता है कि यदि अभियुक्त गैंग चार्ट में उल्लखित किसी मामले में दोष सिद्ध हुआ है तो उसे गैगेस्टर माना जायेगा और इस विशेष अधिनियम के मामले में दोष सिद्ध करना अनिवार्य होगा और ऐसा भी नहीं माना जा सकता है कि यदि गैंग चार्ट में उल्लखित किसी मामले में अभियुक्त दोष मुक्त हो चुका है तो इस विशेष अधिनियम के मामले में उस निर्णय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योकि इस विशेष अधिनियम के मामले को साबित करने के लिये धारा 4 विशेष अधिनियम के अवयवों या किसी एक अवयव का साबित होना आवश्यक है। इस विशेष अधिनियम का आरोप साबित होने के लिये अभियोजन को सर्व प्रथम यह

साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्त एक गिरोह बन्द व्यक्ति की श्रेणी में आता है और वही व्यक्ति एक गिरोह बन्द व्यक्ति हो सकता है जो इस विशेष अधिनियम की धारा 2 में वर्णित परिस्थितियॉ या उसमें से कोई भी एक स्थिति में आता हो और धारा 2 में उल्लखित 25 स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति साबित होना आवश्यक है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षियों पी०डब्लू01 लगायत पी0 डब्लू0 8 की साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है, जिससे यह साबित हो कि अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश एवं छोटा का कोई संगठित गिरोह था, जो कि दुनियावी, आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए अथवा लोक व्यवस्था को भंग करने के उद्देश्य से अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या उत्पीड़न, या अन्य तरीके से भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय-16, 17 व 22 में उपबंधित अपराध या उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा-2 (ख)(एक) में उल्लिखित अन्य अपराधों को करके समाज विरोधी क्रियाकलाप करते थे। इस प्रकार से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश एवं छोटा के विरूद्ध धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने मे असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

30 अब प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध धरा 307 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत आरोप के सम्बन्ध मे विचार किया जा रहा है।

फर्द बरामदगी जो अभियोजन का आधारभूत दस्तावेज है, उसके अवलोकन से घटना का जो विववरण स्पष्ट होता है,उसके अनुसार दिनांक 08.04.1999 को थाना प्रभारी शिव कुमार मिश्रा पी०डब्लू० 1 पुलिस पार्टी के साथ अपराधीगण की तलाश मे कार्यवाही कर रहे थे, तभी करीब 18.30 बजे शाम मरघटा घाट के पास स्थित ग्राम रामपुर शबरौल अन्तर्गत थाना किशनपुर जिला फतेहपुर में पुलिस बल द्वारा अभियुक्तगण को रोका गया जो तथाकथित रूप से अवैध असलहो के साथ थे एवं अभियुक्तगण ने पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने भी फायर कर दिया, जबाब में आत्मरक्षार्थ वादी मुकदमा एवं महराह का० द्वारा क्रमशः रिवाल्वर व राइफल से फायर किया गया। अभियुक्तगण को दुबार फायर का मौका न देते हुए मौके पर ही मय असलहो के गिरफ्तार किया गया। अभियोजन के उक्त कथानक के आधार पर अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी की साक्ष्य पर विचार किया जा रहा है।

31. अभियोजन की तरफ से अपने पक्ष को प्रमाणित करने के सम्बन्ध मे पी०डब्ल्यू० 1 शिव किशोर मिश्रा एवं पी०डब्लू० 6 का० धनराज पाण्डेय को परीक्षित कराया गया है। जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क-1 में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क-1 में अंकित है कि,'' एच०सी० सुरेन्द्र प्रताप मिश्र एवं का० धनराज पाण्डेय द्वारा दाखिला एक-एक अदद कारतूस खोखा कारतूस 303 बोर राइफल तथा थानाध्यक्ष के दो अदद खोखा कारतूस 38 बोर रिवाल्वर एक कपड़े में रखकर सिलकर सर्वमुहर करके नमूना मुहर बनाया गया। हमराही पुलिस बल से पूछा गया कि किसी पुलिस कर्मी को कोई चोट तो नहीं आयी है जिस पर हमराही पुलिस बल ने चोट लगने से इन्कार किया। इससे स्पष्ट है कि कथित घटना में पुलिस बल को कोई चोटे नहीं आयी है। साक्षी पी०डब्लू01 ने जिरह में बताया कि ,'' अपराध संख्या 35/99 कपड़े (माल) पर मेरे अलावा किसी हमराही पुलिस के हस्ताक्षर नहीं है और न ही सील कपडे पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है। बरामदगी प्रस्तुत तमंचे क नाल पर 221/99 गुदा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद माल मुल्जिम व माल मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। प्रस्तुत माल की सील पर किसी पर मजिस्ट्रेट के भी हस्ताक्षर नहीं है। .... आगे जिरह में

कहा कि मै थाने से 15.45 बजे निकला था।मै उमर गैंग की तलाश करता हुआ क्षेत्र में घूम रहा था। मुझे ध्यान नहीं है कि मै किन–किन गॉव में गया। मेरे साथ SI केदारी लाल सविता,हेड का०सुरेन्द्र कुमार मिश्रा,का० धनराज पाण्डेय,का० सर्वेश कुमार पाण्डेय व ड्राइवर रामजीराम थे। जब मै अपने क्षेत्र में घूम रहा था ध्यान नहीं है कि कोई शिकायतकर्ता मिले थे। ....घटनास्थल मरघटा घाट ग्राम रामपुर भसरौल के जंगल में स्थित है। जब मुल्जिमान पर मेरी पहली बार नजर पड़ी तो वह लगभग 25 कदम की दूरी पर थे। मै जीप पर बैठा था। हम लोग पूरब की तरफ आ रहे थे। जीप मरघटा घाट की ओर मुड रही थी। मुल्जिमान की हम लोगो से पहले पहली बार नजर मिली तो एकदम से पीछे मुडकर तेज कदम से वापस मरघटा घाट की ओर जाने लगे। मैने जीप से तुरन्त उतर कर तुरन्त ललकारा कि तुम सब पुलिस घेरे में हो अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दो वर्ना सभी मारे जाओगे। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 6 का० 435 धनराज पाण्डेय ने अपनी जिरह में यह कहा है कि," वह SO शिव किशोर मिश्रा के हमराह मय सरकारी जीप से गये थे। जीप का नम्बर मुझे याद नहीं है। हम लोग उमर केवट की तलाश में निकले थे। कहॉ–कहॉ गये थे यह याद नहीं है। अभियुक्तगणों का थाने में कोई गैंग नम्बर था या नहीं मुझे स समय याद नहीं है। कोई पब्लिक का गवाह गस्त के समय नहीं मिला। लगभग डेढ दो घंटे तक व लोग गस्त में थे। गस्त के समय अब्दुल रसीद,ओम प्रकाश एवं पंकज पकड़े गये थे। अभियुक्त अब्दुल रसीद के पास से एक अदद देशी बन्दूक 12 बोर,चार जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ था। इनकी तलाशी SO साहब ने लिया था। उसने इनकी तलाशी नहीं लिया था।'' उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्तगण की संख्या चार एवं पुलिसबल की संख्या 06 थी। दौरान मुठभेड एक बदमाश अदम शिनाख्वत मरघटा घाट की तरफ जंगल में भागने में सफल हो गया तथा तीन अभियुक्तगण अब्दुल रसीद,पंकज उर्फ रमेश एवं छोटा को असलहो के साथ गिरफ्तार किया गया। स्वाभाविकरूप से जब पुलिस बल अपराधीगण की तलाश मे व्यस्त था तो उनके हांथो मे शस्त्रों का होना भी अत्यन्त स्वाभिक है। ऐसी स्थिति मे छः सदस्यीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा ऐसा कोई प्रकोपन अथवा अपातिक स्थिति अभियुक्तगण के लिए उत्पन्न किया जाना पी०डब्ल्यू० 1 एवं पी०डब्लू० 6 की साक्ष्य से स्पष्ट नही होता है,जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अभियुक्तगण, जिनकी संख्या चार है, छः सदस्यीय सशस्त्र पुलिस बल पर आक्रामक होकर जान से मारने की नीयत से उनके द्वारा फायर किया जाय। विशेषकर उस स्थिति मे जबकि ऐसा किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें यह स्वाभाविकरूप से आशंका होनी चाहिए थी कि इससे उनका स्वयं का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। इसप्रकार अभियुक्तगण का तथाकथित आचरण एक स्वाभाविक आचरण के रूप मे स्पष्ट नही होता है और अभियोजन कथानक की प्रमाणिकता इस आधार पर भी संदिग्ध हो जाती है क्योंकि अभियुक्तगण द्वारा 06 सदस्यीय पुलिस बल को जान से मारने की नीयत से फायर किए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी पुलिस कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई चोट नही आयी है और इस सम्बन्ध मे साक्षी ने स्वयं भी स्वीकार किया है कि उन्हें कोई चोट नही आयी और दूसरे तमंचे से जो फायर किया गया वह मिस हो गया। इसप्रकार अभियोजन का यह कथानक अविश्वसनीय प्रतीत होता है।

32. पी०डब्लू० 1 एवं पी०डब्लू० 6 ने अपनी मुख्य परीक्षा में फर्द बरामदगी प्रदर्श क-1 में अंकित तथ्यों का समर्थन किया है तथा पकडे गये अभियुक्तगण के पास से नाजायज असलह एवं अवैध जिन्दा कारतूस,खोखा व मिस कारतूसों की बरामदगी हुयी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण के पास देशी बन्दूक, तमंचा व कारतूस बरामद होना कहा गया है और ऐसी स्थिति मे भी उनके पास उपलब्ध हथियारों की संख्या और उनकी प्रकृति को देखते हुए भी ऐसा नही कहा जा सकता कि वह अपना स्वयं का जीवन

संकटग्रस्त करते हुए 06 सदस्यीय पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से हमला करे।

33. परीक्षित अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 निरीक्षक मधुसूदन सिंह का जिरह में कथन है कि,'' दिनांक 3.07.99 से मैने इस मुकदमें की विवेचना प्रचालित की। मैने चार पर्चे काटे। मुझे यह याद नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेट से कब अनुमति ली थी। चारो पर्चो में सेक्शन 14 की कार्यवाही करने के लिए मेरे द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। चश्मदीद गवाह का बयान मैने लिया हो उसका नाम मुझे इस समय याद नहीं है।'' **पी०डब्लू० 5** रिटायर्ड SI हरीशंकर सिंह, ने अपनी जिरह में यह कहा है कि,' विवेचना के समय पब्लिक के कोई गवाह नहीं मिले न ही FIR में दर्ज है। आरोप पत्र न्यायालय में कब दाखिल हुआ उसे याद नहीं है। ....अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 7 निरीक्षक कमलेश कुमार ने जिरह में यह कहा है कि," वह थाना किशनपुर में 1998 में तैनात था। महीना इस समय याद नहीं हैं। 25 सितम्बर 1998 को विवेचना मिली थी। अपराध संख्या 183/98 धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता,अपराध संख्या 184/98 धारा 25 आयु अधिनियम,अपराध संख्या 185/98 धारा 25 आयुध अधिनियम में छोटा व पंकज इस अपराध संख्या में अभियुक्त है या नहीं नहीं बता सकता। गैंगेस्टर में उसने पर्चे काटे या नहीं,उसे याद नहीं है। उसका ट्रांसफर हो गया था। फिर किसकी विवेचना मिली उसे जानकारी नहीं है। उसकी तैनाती के समय के मुकदमें थे या नहीं उसे याद नहीं है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के पास से बरामद देशी बन्दूक व तमंचा की बैलस्टिक जाँच कराया जाना भी स्पष्ट नही होता है, जिसके आधार पर स्पष्ट हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा वास्तव मे देशी बन्दूक व तमंचा से कोई गोली चलायी भी गयी थी? या नही? इसके अतिरिक्त घटनास्थल से खोखा कारतूस बरामद करने, गोली के निशान या अन्य कोई विवरणात्मक साक्ष्य न्यायालय मे प्रस्तुत व प्रमाणित नही की गयी है।

34. इस प्रकार मामले के उक्त तथ्यों के उल्लेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तथाकथितरूप से अभियुक्तगण द्वारा 06 सदस्यीय सशस्त्र पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से उन पर फायर किये जाने सम्बन्धी उनका आचरण स्वाभाविक एवं एक विवेकशील व्यक्ति के आचारण के रूप मे प्रतीत नही होता है। अभियुक्तगण द्वारा तथाकथितरूप से फायर किए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी पुलिस कर्मचारी को कोई चोट न आना भी अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता को प्रतिकूलरूप से प्रभावित करता है। साथ ही साथ बरामद तमंचो की बैलस्टिक जाँच नही करायी गयी है।

35. इसप्रकार मामले के उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त यह निष्कर्ष निकालना सर्वथा उचित है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307 सपठित धारा34 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत आरोप प्रमाणित करने मे विफल रहा है एवं अभियुक्तगण उक्त आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

36. अब अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश एवं छोटा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनयम के आरोप के सम्बन्ध मे विचार किया जा रहा है।

37. अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश के पास से तथाकथितरूप से एक अदद बन्दूक व तीन कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस बरामद होना तथा अभियुक्त छोटा के पास से एक अदद तमंचा ,दो अदद जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद होना कहा गया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी की साक्ष्य के आधार पर पूर्व मे धारा 307 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत विवेचना के क्रम मे अभियोजन

कथानक की विश्वसनीयता के प्रतिकूल जो निष्कर्ष निकाले गये है, वे प्रस्तुत आरोप के सम्बन्ध मे भी विचारणीय है। मामले में, जैसा कि पूर्व मे निष्कर्ष निकाला गया है, अभियुक्तगण द्वारा उक्त बन्दूक व तमंचा से जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किए जाने सम्बन्धी अभियोजन कथानक प्रमाणित नही पाया गया है। इसके अतिरिक्त बरामद तमंचो की बैलस्टिक एक्सपर्ट से कोई जाँच भी न कराये जाने के कारण यह तथ्य भी प्रमाणित नही होता है कि उक्त कथित बन्दूक व तमंचा वास्तव मे चालू हालत मे थे और आग्नेयास्त्र के रूप मे उनका प्रयोग किया जाना सम्भव था। उक्त के अतिरिक्त अभियोजन प्रपत्र आरोप पत्र अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश मु०अ० सं० 34/99 धारा 25 आयुध अधिनियम एवं अभियोजन स्वीकृति अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश मु०अ०सं० 34/99 धारा 25 आयुध अधिनियम को किसी भी परीक्षित साक्षीगण पी०डब्लू01 लगायत पी0 डब्लू08 के मौखिक साक्ष्य एवं अन्य साक्षीगण से साबित नहीं कराया गया है। इस प्रकार धारा 307 सपठित धारा34 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत पूर्व मे निकाले गये निष्कर्षो और वर्तमान उल्लेख के आधार पर ही इस आशय का निष्कर्ष निकालना सर्वथा उचित है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप भी प्रमाणित करने मे असफल रहा है और अभियुक्तगण उक्त आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

38. अभियुक्तगण पंकज उर्फ रमेश एवं छोटा को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 107 सन 1999 में धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के आरोप से, सत्र विचारण संख्या 160 सन 1999 (विशेष सत्र परीक्षण संख्या 107 सन 1999) में धारा 307 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से, अभियुक्त छोटा को सत्र परीक्षण संख्या 163 सन 1999(विशेष सत्र परीक्षण संख्या 107 सन 1999) में धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोप से तथा अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश को सत्र परीक्षण संख्या 169 सन 1999(विशेष सत्र परीक्षण संख्या 107 सन 1999) में धारा 25 आयुध अधिनयम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त जमानत पर है। उनके जमानतपत्र एवं बंधपत्र निरस्त किए जाते है एवं प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

39. उक्त अभियुक्तगण के पास से बरामद बन्दूक व तमंच व कारतूसो को अपील अवधि पश्चात नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

40. इस निर्णय की एक एक प्रति सत्र विचारण संख्या 160 सन 1999 (विशेष सत्र परीक्षण संख्या 107 सन 1999) एवं सत्र परीक्षण संख्या 163 सन 1999(विशेष सत्र परीक्षण संख्या 107 सन 1999) तथा सत्र परीक्षण संख्या 169 सन 1999(विशेष सत्र परीक्षण संख्या 107 सन 1999) की पत्रावली में रखी जाये।

41. फरार अभियुक्त अब्दुल रसीद पुत्र अब्दुल बारी निवासी अहमदगंज, थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर के विरूद्ध आरोप विरचित कर विचारण प्रारम्भ हुआ, विचारण के अंतिम समय तक अभियुक्त उपस्थित नहीं आया है उसके विरूद्ध जरिये पुलिस अधीक्षक,फतेहपुर स्थायी वांरट गैर जमानतीय अधिपत्र सम्बन्धित थाना को इस आशय से प्रेषित किया जाय कि उक्त अभियुक्त जब भी उपस्थित व गिरफ्तार हो तो उसे अविलम्ब न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया जाय। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

42 उपरोक्त फरार अभियुक्त के उपस्थित होने पर पत्रावली में उपलब्ध अभियोजन की मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य उसके विरूद्ध पढ़ी जायेगी।

43. अभियुक्तगण के द्वारा धारा-437 ए दं०प्र०सं० के अन्तर्गत दाखिल किये गये बंध पत्र एवं प्रतिभू निर्णय की तिथि से 06 माह तक प्रभावी रहेगें।

दिनांकः-08.07.2026

(सुभाष चन्द्र मौर्य)
विशेष न्यायाधीश,
उ०प्र०गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप
(निवारण)अधि०/अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-03,फतेहपुर।
ID UP-2732

44. निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करने के उपरान्त सुनाया गया।

दिनांकः-08.07.2026

(सुभाष चन्द्र मौर्य)
विशेष न्यायाधीश,
उ०प्र०गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप
(निवारण)अधि०/अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-03,फतेहपुर।
ID UP-2732